



# व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) BOARD OF PRACTICAL TRAINING (EASTERN REGION)

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन  
UNDER MINISTRY OF EDUCATION, GOVT. OF INDIA, DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION



सशक्त युवा, समर्थ भारत  
www.mhrdnats.gov.in

बीओपीटी/डीटी/2023-24/825

दिनांक: 27 जनवरी, 2024

सेवा में,  
सभी स्थापना/प्रशिक्षु

## विषय: एनएटीएस में चरणबद्ध तरीके से डीबीटी का कार्यान्वयन।

इस बोर्ड द्वारा दिसंबर 2023 (जनवरी 2024 में देय) के महीने से डीबीटी का कार्यान्वयन शुरू किया गया था, कुछ स्थापनाओं ने निर्धारित एक्सेल टेम्पलेट में डेटा साझा किया था। अधूरे डेटा, डेटा तैयारी में गलतियाँ, बैंक खातों को आधार से नहीं जोड़ा जाना, डीबीटी के लिए खाते अक्षम होना और एनएटीएस 2.0 पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्रालय के साथ मुद्दे उठाए गए और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अधिकारियों के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। इसलिए, यह सूचित किया जा रहा है कि पहले से शुरू की गई डीबीटी को अगली अधिसूचना तक बंद किया जा रहा है। बीओपीटी (ईआर) के तहत पूर्वी क्षेत्र में सभी स्थापना जनवरी 2024 और उसके बाद के महीनों के पूर्ण वृत्तिका का भुगतान करना जारी रखेंगे जैसा कि प्रतिपूर्ति मोड के दौरान भुगतान किया जाता था। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि:

- प्रारंभ में डीबीटी को बीओएटी (दक्षिणी क्षेत्र) के अधिकार क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी संगठनों में लागू किया जाएगा।
- बीओएटी (एसआर) में सफल कार्यान्वयन के बाद इसे शेष तीन बीओपीटी/बीओएटी के सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी संगठनों में लागू किया जाएगा।
- पीएसयू और सरकारी संगठनों में कार्यान्वयन के शुरुआती महीनों के दौरान सामने आने वाले तकनीकी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाएगा।
- सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी संगठनों से संतोषजनक कार्यान्वयन रिपोर्ट प्राप्त होने पर निजी स्थापनाओं को डीबीटी के तहत लाया जाएगा और उसे उचित समय पर निजी स्थापनाओं को सूचित किया जाएगा।

स्थापनाओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्णय के अनुसार अगली अधिसूचना तक मौजूदा प्रक्रिया (प्रतिपूर्ति मोड) के अनुसार स्टाइपेंड दावे की प्रतिपूर्ति जमा करना जारी रखें। जिन लोगों ने पहले ही डीबीटी के माध्यम से प्रशिक्षुओं को वृत्तिका का भुगतान कर दिया है, उन्हें कवॉरिंग लेटर/अप्रेषण पत्र में इस बोर्ड द्वारा डीबीटी के माध्यम से भुगतान किए गए महीनों और राशि का उल्लेख करना होगा और इसे प्रतिपूर्ति दावे से तब तक काटा जाएगा जब तक एनएटीएस 2.0 पोर्टल में कटौती की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती।

शुभकामनाएँ,

आपका विश्वासी  
एसडी/-  
(डॉ. एस.एम.एजाज़ अहमद)  
निदेशक



एक कदम स्वच्छता की ओर

ब्लॉक - ईए, सेक्टर -1 (लाबोनी संपदा के विपरीत), साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700 064, दूरभाष /Phone - (033) 2337-0750/51, फैक्स /Fax - (033) 2321-6814  
Block - EA, Sector - I (Opposite. Labony Estate), Salt Lake City, Kolkata - 700 064, ई-मेल /E-mail - inf@bopter.gov.in, वेबसाइट/website - www.bopter.gov.in

Download Mobile App

